


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, करना  
प्रकरण सं:- 69/2018  
दिनांक:- 4-6-18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1294

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी करना व भू.अ.नि. भूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम पाबू भाखरी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 2 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि सुआदेवी पत्नि वेहनाराम के स्थान पर सुआदेवी पत्नि नेनाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 4-6-18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1295-97

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुआदेवी पत्नि नेनाराम निवासी पाबू भाखरी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी